

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
अधिसूचना

(Formation of Micro & Small Enterprises Facilitation Council)

सं०सं०-02 उ०नि० विविध (फैसिलिटेशन कॉन्सिल) 51/06..... सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 30 सहपठित उप धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा उद्योग विभागीय अधिसूचना संख्या 3008 दिनांक 25.09.2007 द्वारा सूक्ष्म, लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉन्सिल नियमावली, 2007 अधिसूचित की गई है।

2. उक्त अधिनियम की धारा 21 एवं सूक्ष्म, लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉन्सिल नियमावली, 2007 के नियम 3 के आलोक में उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉन्सिल का गठन किया गया। नियम 4 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 1448 दिनांक 22.04.2016 द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉन्सिल के सदस्यों का दो वर्षीय कार्यकाल दिनांक 21.04.2018 को समाप्त हो जाने के कारण सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉन्सिल में सदस्यों का मनोनयन निम्न प्रकार किया जाता है:-

1. विधि विभाग के प्रतिनिधि
(संयुक्त सचिव के स्तर से अन्यून पदाधिकारी)- सदस्य
2. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस०बी०आई०)- सदस्य
3. अध्यक्ष, बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज- सदस्य
4. अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ- सदस्य

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक, में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक..... /

सं०सं०-2 उ० नि० विविध (फैसिलिटेशन कॉन्सिल) 51/06

प्रतिलिपि:-प्रभारी "ई" गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक, में प्रकाशित किया जाय और इसे सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक...../

पटना, दिनांक.....

सं०सं०-2 उ० नि० विविध (फैसिलिटेशन कॉन्सिल) 51/06

प्रतिलिपि:—माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/ सचिव, विधि विभाग/ प्रधान सचिव/ सचिव, सभी विभाग / उद्योग निदेशक, बिहार के निजी सहायक/ निदेशक, तकनीकी विकास/ निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय/ निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार/ प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन पूर्वी गाँधी मैदान, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना/संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस०बी०आई०), पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना/अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ, सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना/अध्यक्ष, बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, खेम चन्द चौधरी मार्ग, पटना/महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह०/—

सरकार के अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक...../

पटना, दिनांक.....

सं०सं०-2 उ० नि० विविध (फैसिलिटेशन कॉन्सिल) 51/06

प्रतिलिपि:—प्रधान सचिव—सह—वाणिज्य कर आयुक्त, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना/निदेशक, (एम० एस० एम० ई० पॉलिसी), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, निर्माण भवन, सांतवी मंजिल, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली—110108/निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम० एस० एम० ई०) विकास संस्थान, पटना/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह०/—

सरकार के अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक...../

पटना, दिनांक...22.06.18

सं०सं०-2 उ० नि० विविध (फैसिलिटेशन कॉन्सिल) 51/06

प्रतिलिपि:—आई० टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित। कृपया इसे विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किया जाय, साथ ही प्रभारी "ई" गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को भी बेवसाईट पर प्रेषित किया जाय।

सरकार के अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

22.6.18